

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Monday, 07 March, 2016/ 17 Phalgun, 1937 (Saka)

No.45

COMMENCEMENT OF THE THIRD SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Hon'ble Members are informed that the Third Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 22 March 2016 at 11:00 AM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi, with the address of the Hon'ble Lieutenant Governor.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THIRD SESSION: Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for **22, 28, 29, 30 & 31 March, 2016**. Subject to the exigencies of business the sittings of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

Except on 22 March, 2016, the Legislative Assembly will sit from 02.00 PM and continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung at 1.55 P.M. to enable Members to take their seat.

On 22 March 2016 the sitting of the House will commence 15 minutes after conclusion of the Hon'ble Lieutenant Governor's Address.

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

The Hon'ble Lieutenant Governor will address the Legislative Assembly on **22 March 2016 at 11:00 AM** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi. Members are requested to assume their seats by 10.45 AM. Quorum bell will not be rung for this purpose.

MEMBERS PARTICIPATION IN THE DEBATE:

Members who desire to participate in the debate/discussions during the session are requested to forward their requests to the Assembly Secretary through their concerned Party Leaders.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Third Session will be received with immediate effect. As per the direction of Hon'ble Speaker question hour will be held on **29, 30 & 31 March, 2016**.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE THIRD SESSION (RULE 37):

For Third Session (Budget Session), the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as follows:

Sl. No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Administrative Reforms Art, Culture and Languages Department of Food Safety Family Welfare General Administration Home Information Technology Law, Justice and Legislative Affairs Medical and Public Health Power Services Vigilance	29.03.2016	16.03.2016	16.03.2016
02	Education Employment Environment, Forest & Wildlife Excise Finance Food and Supplies Higher Education Information and Publicity Irrigation and Flood Control Labour Land and Building Planning PWD Revenue Trade and Taxes Training and Technical Education	30.03.2016	17.03.2016	17.03.2016
03	Co-operative Development DUSIB Elections Gurudwara Election & Admn Industries Jail Social Welfare Tourism Transport Urban Development Water Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities Woman and Child Welfare	31.03.2016	18.03.2016	18.03.2016

Note:

- (1) A member may give notice of only five questions on a given day {Rule 36 (1)}
- (2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii))}.
- (3) Members may kindly note that if notice of question is received after the deadline prescribed such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for Departments as shown in column 4 above.
- (4) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (5) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received.
- (6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (7) Balloting will be held in the room of the Secretary (Room No.54) as per schedule indicated Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (8) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure for further details.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 04.00 P.M on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.00 AM on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any disallowed deviation will be treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46**

- (c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 22.03.2016 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 21.03.2016. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and to assure that any person in the visitor's gallery may not clap or hoot.

NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS, I-PADS, TABLETS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

**Prasanna Kumar Suryadevara
SECRETARY**

THE THIRD SESSION OF SIXTH ASSEMBLY

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	22 March, 16	Tuesday	L.G. Address
2.	23 March, 16	Wednesday	No Sitting
3.	24 March, 16	Thursday	Holiday
4.	25 March, 16	Friday	Holiday
5.	26 March, 16	Saturday	Holiday
6.	27 March, 16	Sunday	Holiday
7.	28 March, 16	Monday	Government Business
8.	29 March, 16	Tuesday	Government Business
9.	30 March, 16	Wednesday	Government Business
10.	31 March, 16	Thursday	Government Business

Prasanna Kumar Suryadevara
SECRETARY

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 07 मार्च, 2016 / फाल्गुन 17, 1937 (शक)

संख्या- 45

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के तीसरे सत्र (बजट सत्र)

का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा का तीसरा सत्र मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ प्रारंभ होगा।

तीसरे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन:

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर 22, 28, 29, 30 एवं 31 मार्च, 2016 के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ाई जा सकती हैं।

विधान सभा की बैठकों का समय:

दिनांक 22 मार्च, 2016 को छोड़कर विधान सभा की बैठकें अपराह्न 02.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थागित न कर दिया जाये। गणपूर्ति (कोरम) की घंटी अपराह्न 1.55 पर बजेगी ताकि सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर सकें।

22 मार्च, 2016 को सदन की बैठक माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण के समाप्त होने के 15 मिनट बाद आरम्भ होगी।

उपराज्यपाल का अभिभाषण:

माननीय उपराज्यपाल 22 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा सचिवालय सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सदस्यों को संबोधित करेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10.45 बजे तक अपना आसन ग्रहण कर लें। इस आशय हेतु गणपूर्ति की घंटी नहीं बजाई जाएगी।

चर्चा में सदस्यों का भाग लेना:

जो माननीय सदस्य सत्र के दौरान किसी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सम्बंधित दल के नेता के माध्यम से अपना नाम विधान सभा सचिव को भेजें।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:

छठी विधान सभा के तीसरे सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 29, 30 एवं 31 मार्च, 2016 को होगा।

बजट सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा तीसरे सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है:-

क्रम सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 03.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे तक)
1.	प्रशासनिक सुधार, कला संस्कृति एवं भाषा, खाद्य सुरक्षा विभाग, परिवार कल्याण, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, न्याय एवं विधायी मामले, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, ऊर्जा, सेवा, सर्तकता	29.03.2016	16.03.2016	16.03.2016
2.	शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, आबकारी, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उच्च शिक्षा, सूचना एवं प्रचार, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, श्रम, भूमि एवं भवन,	30.03.2016	17.03.2016	17.03.2016

	योजना, लोक निर्माण, राजस्व, व्यापार एवं कर, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा			
3.	सहकारी, विकास, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, चुनाव, गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, उद्योग, जेल, समाज कल्याण, पर्यटन, परिवहन, शहरी विकास, जल, अनुसूचितजाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण,	31.03.2016	18.03.2016	18.03.2016

टिप्पणी:-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए केवल 5 प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा (नियम-36(1))।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए (नियम-31(xxii))।
3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाये गए कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।
4. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा(क्लब) कर दिया जाएगा।
6. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।
8. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विवरणों के लिए प्रक्रिया नियमों के अध्याय VII का अवलोकन करें।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 04.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -
1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।
 2. सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 स्थित है।**
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- (ङ.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 22/03/2016 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात्

21/03/2016 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं तथा माननीय सदस्य यह भी सुनिश्चित करें की दर्शक दीर्घा में कोई भी व्यक्ति न तो खुशी से चिल्लाए, न ताली बजाए और न हूटिंग करे ।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन, पेजर, आई. पैड्स, टेबलैट्स, लैपटोप्स या अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें ।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

छठी विधान सभा का तीसरा सत्र

बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

बैठक	तिथि	बैठक का दिन	विषय
01	22.03.2016	मंगलवार	उपराज्यपाल का अभिभाषण
02	23.03.2016	बुधवार	बैठक नहीं
03	24.03.2016	बृहस्पतिवार	अवकाश
04	25.03.2016	शुक्रवार	अवकाश
05	26.03.2016	शनिवार	अवकाश
06	27.03.2016	रविवार	अवकाश
07	28.03.2016	सोमवार	सरकारी कार्य
08	29.03.2016	मंगलवार	सरकारी कार्य
09	30.03.2016	बुधवार	सरकारी कार्य
10	31.03.2016	बृहस्पतिवार	सरकारी कार्य

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव